



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल, 2019-चंत्र 22, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

MADHYA PARDHES POLLUTION CONTROL BOARD

E-5 SECTOR, PARYAWARAN PARISER, ARERA COLONY, BHOPAL-462016 (M.P.)

Bhopal, Dated: 28 March, 2019

No. 677.—As Per power conferred under section-17 sub section "C"of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (6/1974), Madhya Pradesh Pollution Control Board hereby notified the Inlet Quality Standards for the **Common Effluent Treatment Plant (CETP)**, Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.) with immediate effect namely :-

Common Effluent Treatment Plants (CETP) Industrial Area, Govindpura, Bhopal (M.P.)		
S. No.	Maximum permissible limit	
	Parameter	Standards
1	2	3
1.	pH - pH Value (Range)	4.0 to 11.0
2.	Temperature - Degrees Centigrade (Range)	20-40
3.	Oil & Grease	20 mg/l
● Inlet Quality Standards	4. Ammonical Nitrogen (N)	50 mg/l
	5. Cynide (CN) max	0.2 mg/l
	6. Cromium Hexavalent (Cr^{+6})	0.1 mg/l
	7. Total Cromium(Cr)	2.0 mg/l
	8. Copper, (Cu)	3.0 mg/l

	1	2	3
● Inlet Quality Standards	9. Lead, (Pd) 10. Nickel (Ni) 11. Zinc (Zn) 12. Arsenic(As) 13. Mercury (Hg) 14. Cadmium (Cd) 15. Selenium (Se)		0.1 mg/l 3.0 mg/l 5.0 mg/l 0.2 mg/l 0.01 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l

Notes:-

- Standards for general parameters shall be applicable for all the industries.
- In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and ground water quality shall be monitored twice a year (pre and post monsoon) by Common Effluent Treatment Plant (CETP) Management for combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by the State Board.
- Treated effluent standards and Sector specific industries standards shall be applicable as per **Gazette Notification (Govt. of India) Dated 01/01/2016.**
- Specific parameters for some important sector, selected from sector specific standards.

Sector	Specific Parameters
Textile	Bio-assay test, Total Chromium, Suphide, Phenolic compounds.
Tanneries	Sulphides, Total Chromium, Oil & Grease, Chlorides.
Dye & Dye Intermediate	Oil & Grease, Phenolic, Compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates.
Organic Chemical Manufacturing Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury, Copper, Nickel, Phenolic Compounds, Sulphides.
Pharmaceutical Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent Chromium, Lead, Cyanide, Phenolic Compounds, Sulphides, Phosphates.

(30-A-B)

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2019

क्र.677.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (6/1974) की धारा-17 उपधारा “ग” में दिये गये निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड संयुक्त उपचार संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.) के अन्तर्गम निस्त्राव गुणवत्ता हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित करता है, जो अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मानक प्रभावशील होंगे :-

संयुक्त बहिःसाव उपचार संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

अधिकतम अनुमेय सीमा (Maximum permissible limit)

क्र.	पैरामीटर्स	मानक
1	2	3
● अन्तर्गम गुणवत्ता के मानक	1. पी. एच.- (पी. एच. यूनिट) (रेंज)	4.0 से 11.0

1	2	3
● अन्तर्गम	2. तापमान-डिग्री सेंटीग्रेट (रेंज)	20-40
गुणवत्ता	3. तेल एवं ग्रीस	20 मि. ग्रा./लीटर
के मानक	4. अमोनिकल नाइट्रोजन	50 मि. ग्रा./लीटर
	5. सायनाइड	0.2 मि. ग्रा./लीटर
	6. क्रोमियम हैक्जावेलेंट अधिकतम	0.1 मि. ग्रा./लीटर
	7. टोटल क्रोमियम अधिकतम	2.0 मि. ग्रा./लीटर
	8. तांबा	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	9. लेड	0.1 मि. ग्रा./लीटर
	10. निकिल	3.0 मि. ग्रा./लीटर
	11. जस्ता	5.0 मि. ग्रा./लीटर
	12. आर्सेनिक	0.2 मि. ग्रा./लीटर
	13. पारा	0.01 मि. ग्रा./लीटर
	14. कैडमियम	0.05 मि. ग्रा./लीटर
	15. सेलेनियम	0.05 मि. ग्रा./लीटर

टीप:-

- सामान्य प्रचालकों के मानक सभी उद्योगों में प्रभावशील होंगे।
- सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःप्राव के निस्सारण की दशा में, संयुक्त बहिःप्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) प्रबंधन द्वारा मृदा और भूजल क्वालिटी पर प्रभाव के आंकलन हेतु मॉनिटरिंग वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व और उसके पश्चात्) की जायेगी। सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःप्राव और मल जल के संयुक्त निस्सारण के लिए, मल जल के साथ मिश्रण का अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया जायेगा।
- उपचारित बहिःप्राव गुणवत्ता के मानक तथा विशिष्ट प्रचालक के मानक भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार हैं।
- सेक्टर विनिर्दिष्ट उद्योगों से चयनित कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटरः-

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
कपड़ा उद्योग (Textile)	कुल क्रोमियम, सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, जैव आमापन (बॉयोएसे) परीक्षण।
चर्म शोधनशाला (Tanneries)	सल्फाइड, कुल क्रोमियम, तेल और ग्रीस, क्लोराइड।
डाई और डाई इंटरमिडिएट (Dye & Dye Intermediate)	तेल और ग्रीस, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, कैडमियम, तांबा, मैग्नीज, सीसा, पारा, निकिल, जस्ता, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमोयम, जैव-आमापन परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट।
जैविक रासायनिक विनिर्माण उद्योग (Organic Chemicals Manufacturing Industry)	तेल और ग्रीस, जैव-आमापन परीक्षण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, जस्ता, पारा, तांबा, निकिल, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड।
औषधीय उद्योग (Pharmaceutical Industry)	तेल और ग्रीस, जैव-आमापन परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड, फास्फेट।

(30-B.)

Bhopal, Dated: 28 March, 2019

No. 678.—As per power conferred under section-17 sub section "C" of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 (6/1974), Madhya Pradesh Pollution Control Board hereby notified the

Inlet Quality Standards for the **Common Effluent Treatment Plant (CETP), Industrial Area Sawer Road Sector-F, Indore** with immediate effect namely:- :-

Common Effluent Treatment Plants (CETP) Industrial Area, Sawer Road Sector-F, Indore (M.P.)

S. No.	Maximum permissible limit	
	Parameter	Standards
	1	2
• Intel Quality Standards	1. pH -pH Value (Range)	5.5 to 11.0
	2. Temperature -Degrees Centigrade (Range)	20-40
	3. Oil & Grease	50 mg/l
	4. Ammonical Nitrogen (N)	100 mg/l
	5. Cyanide (CN)	0.2 mg/l
	6. Chromium Hexavalent (Cr ⁺⁶)	0.1 mg/l
	7. Total Chromium(Cr)	2.0 mg/l
	8. Copper, (Cu)	3.0 mg/l
	9. Lead, (Pb)	0.1 mg/l
	10. Nickel (Ni)	3.0 mg/l
	11. Zinc (Zn)	5.0 mg/l
	12. Arsenic(As)	0.2 mg/l
	13. Mercury (Hg)	0.01 mg/l

Notes:-

1. Standards for general parameters shall be applicable for all the industries.
2. In case of discharge of treated effluent on land for irrigation, the impact on soil and ground water quality shall be monitored twice a year (pre and post monsoon) by Common Effluent Treatment Plant (CETP) Management for combined discharge of treated effluent and sewage on land for irrigation, the mixing ratio with sewage shall be prescribed by the State Board.
3. Treated effluent standards and Sector specific industries standards shall be applicable as per **Gazette Notification (Govt. of India) Dated 01/01/2016**.
4. Specific parameters for some important sector, selected from sector specific standards.

Sector	Specific Parameters
Textile	Bio-assay test, Total Chromium, Sulfide, Phenolic compounds.
Tanneries	Sulphides, Total Chromium, Oil & Grease, Chlorides.
Dye & Dye Intermediate	Oil & Grease, Phenolic, Compounds, Cadmium, Copper, Manganese, Lead, Mercury, Nickel, Zinc, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Bio-assay test, Chlorides, Sulphates.
Organic Chemical Manufacturing Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Nitrates, Arsenic, Hexavalent Chromium, Total Chromium, Lead, Cyanide, Zinc, Mercury, Copper, Nickel, Phenolic Compounds, Sulfides.

Sector	Specific Parameters
Pharmaceutical Industry	Oil & Grease, Bio-assay test, Mercury, Arsenic, Hexavalent Chromium, Lead Cyanide, Phenolic Compounds, Sulphides, Phosphates.

(31-A-B.)

भोपाल, दिनांक 28 मार्च, 2019

क्र.678.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (6/1974) की धारा एवं 17 उपधारा “ग” में दिये गये निर्देशों के अनुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण बोर्ड संयुक्त उपचार संयंत्र औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, सेक्टर-एफ इन्डौर (म.प्र.) के अन्तर्गत निस्त्राव गुणवत्ता हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारित करता है, जो अधिसूचना जारी होने की दिनांक से मानक प्रभावशील होंगे :-

संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, सेक्टर-एफ इन्डौर (म.प्र.)

अधिकतम अनुमेय सीमा (Maximum permissible limit)

क्र.	पैरामीटर्स	मानक	
		1	2
● अन्तर्गम गुणवत्ता के मानक	1. पी. एच.- (पी. एच. यूनिट) (रेंज)	5.5-11.0	
	2. तापमान-डिग्री सेंटीग्रेट (रेंज)	20-40	
	3. तेल एवं ग्रीस	50 मि. ग्रा./लीटर	
	4. अमोनिकल नाइट्रोजन	100 मि. ग्रा./लीटर	
	5. सायनाइड	0.2 मि. ग्रा./लीटर	
	6. क्रोमियम हैक्सावेलैट	0.1 मि. ग्रा./लीटर	
	7. टोटल क्रोमियम	2.0 मि. ग्रा./लीटर	
	8. तांबा	3.0 मि. ग्रा./लीटर	
	9. लेड	0.1 मि. ग्रा./लीटर	
	10. निकिल	3.0 मि. ग्रा./लीटर	
	11. जस्ता	5.0 मि. ग्रा./लीटर	
	12. आर्सेनिक	0.2 मि. ग्रा./लीटर	
	13. पारा (मरक्यूरी)	0.01 मि. ग्रा./लीटर	

टीप:-

- सामान्य प्रचालकों के मानक सभी उद्योगों में प्रभावशाली होंगे.
- सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव के निस्सारण की दशा में संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी) प्रबंधन द्वारा मृदा और भूजल क्वालिटी पर प्रभाव के आंकलन हेतु मॉनिटरिंग वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व और उसके पश्चात्) की जायेगी. सिंचाई के लिए भूमि पर उपचारित बहिःस्राव और मल-जल के संयुक्त निस्सारण के लिए मल-जल के साथ मिश्रण का अनुपात राज्य बोर्ड द्वारा विहित किया जायेगा.
- उपचारित बहिःस्राव गुणवत्ता के मानक तथा विशिष्ट प्रचालक के मानक भारत का राजपत्र अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 के अनुसार है.
- सेक्टर विनिर्दिष्ट मानकों से चयनित कुछ महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए विनिर्दिष्ट पैरामीटर:-

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
कपड़ा उद्योग (Textile)	कुल क्रोमियम, सल्फाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, जैव आमापन (बॉयोएसे) परीक्षण.
चर्म शोधनशाला (Tanneries)	सल्फाइड, कुल क्रोमियम, तेल और ग्रीज, क्लोराइड.

सेक्टर	विनिर्दिष्ट पैरामीटर
डाई और डाई इंटरमिडिएट (Dye & Dye Intermediate)	तेल और ग्रीज, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, कैडमियम, तांबा, मैग्नीज, सीसा, पारा, निकिल, जस्ता, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमोयम, जैव-आमापन परीक्षण, क्लोराइड, सल्फेट.
जैविक रासायनिक विनिर्माण उद्योग (Organic Chemicals Manufacturing Industry)	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, नाइट्रेट, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, कुल क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, जस्ता, पारा, तांबा, निकिल, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड.
औषधीय उद्योग (Pharmaceutical Industry)	तेल और ग्रीज, जैव-आमापन परीक्षण, पारा, आर्सेनिक, हैक्जावेलेंट क्रोमियम, सीसा, सायनाइड, फिनोलिक यौगिक मिश्रण, सल्फाइड, फास्फेट.

मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड

के लिये तथा आदेशानुसार.

ए. ए. मिश्रा,

सदस्य सचिव.

(31-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सोना तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी, उम्र 31 साल, निवासी बजरंग वार्ड क्रमांक 03, पन्ना, तहसील पन्ना, जिला पन्ना मध्यप्रदेश की होकर निम्न कथन शपथ पूर्वक करती हूँ कि मेरा नाम स्कूल की अंकसूची, बैंक खाता में सोना तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी दर्ज है। जिसमें सोनाली तिवारी पिता श्री नारायण प्रसाद तिवारी का नाम दर्ज कराना चाहती हूँ मुझे इसी नाम से माना जाये मैं, आज दिनांक से अपना नाम सोना तिवारी के स्थान पर सोनाली तिवारी अपनी स्वेच्छा से परिवर्तित करा रही हूँ।

पुराना नाम :

(सोना तिवारी)

पुत्री-श्री नारायण प्रसाद तिवारी,
निवासी-बजरंग वार्ड क्रमांक 03, पन्ना,
तहसील पन्ना, जिला पन्ना (म.प्र.).

(32-बी.)

नया नाम :

(सोनाली तिवारी)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब तक मैं, सिमरन पिता अलताब पटेल के नाम से जानी पहचानी जाती थी तथा मेरा धर्म इस्लाम है। मैंने अपनी धार्मिक भावनाओं के कारण अपना नाम सिमरन बदलकर अमरीन पटेल पिता अलताब पटेल कर लिया है। अतः जाहिर सूचना के प्रकाशन उपरांत मुझे केवल अमरीन पटेल पिता अलताब पटेल के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सिमरन)

पिता-अलताब पटेल.

नया नाम :

(अमरीन पटेल)

(33-बी.)

पिता-अलताब पटेल,

पता-11, पटेल मोहल्ला, तालाब रोड,
खजराना, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीमती रमा पटेल पत्नी श्री रामकृष्ण पटेल था। जो कि अधूरा नाम है। जिसे मैं, सुधार करके पूरा नाम श्रीमती रामकली पटेल कर लिया है। अतः अब मुझे मेरे पूरा नाम रामकली पटेल के नाम से जाना-पहचाना जाये एवं मेरे समस्त दस्तावेजों जिनमें मेरा आधार कार्ड, बोटर कार्ड, जमीन रजिस्ट्री, बैंक अकाउंट आदि शामिल हैं, मैं मेरा नाम रामकली पटेल लिखा व पढ़ा जाये।

पुराना नाम :

(रमा पटेल)

पत्नी-श्री रामकृष्ण पटेल.

(34-बी.)

नया नाम :

(रामकली पटेल)

पत्नी-श्री रामकृष्ण पटेल,
निवासी-ग्रा. पो. बिठौली, तहसील सिहावल,
थाना अमिलिया, जिला सीधी (म.प्र.).